कार्यालय, जिला परिषद्, लखीसराय।

विज्ञापन की सूचना　　　　　　　　　　विज्ञापन सं0...01... /24–25

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2325/पं0रा0 दिनांक 12.03.2024 के आलोक में जिला परिषद्, लखीसराय अंतर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत कनीय अभियंता एवं निम्न वर्गीय लिपिक (सहायक) से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है।

क्र0	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	कोटि	अभियुक्ति
1	कनीय अभियंता	01	01 अनारक्षित	
2	निम्न वर्गीय लिपिक	02	01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 01 अनुसूचित जाति	

आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 तक जिला परिषद कार्यालय, लखीसराय में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार है :–

1. उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नाकिंत श्रेणी के सेवानिवृत कर्मियों की सेवाएं नही ली जा सकेंगी।
   (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
   (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा हो।
   (iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।
2. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतक उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
4. राज्य सरकार के किसी कर्मी को संविदा पर नियोजित किये जाने पर ऐसे कर्मी का मानदेय उनहे प्राप्त होने वाले अंतिम+सेवानिवृत के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा, किन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक की संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।
5. नयी पेंशन योजना से अच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा। ऐसे कर्मियों का चयन भी उप कंडिका (04) में प्रावधानिक चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

   ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उसके नियोजन के संवर्ग के लिये अनुमान्य पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त, वेतन एवं उस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता के योगफल से अधिक नही होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का

योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मी द्वारा जिला परिषद के कार्य वर्ष यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है। इस मद में भुगतान भी जिला परिषद द्वारा अपने संसाधनो से किया जायेगा।
7. पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर संबंधित कर्मी को परिवहन तथा मोबाईल आदि की सुविधा संबंधित जिला परिषद द्वारा उपलब्ध राशि से किया जायेगा।
8. संविदा पर नियोजित सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी।
9. यह व्यवस्था जिला परिषद (सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आलोक में जिला परिषद में कर्मियों की नियुक्ति होने तक लागू रहेगी। नियमित नियुक्ति हो जाने पर संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियों का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
11. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्ध कर दी जायेगी।
12. जो व्यक्ति जिस जिला परिषद में कार्य करते हुए सेवानिवृत हुआ है वह उस जिला परिषद में संविदा के आधार नियोजित नही किया जा सकेगा।
13. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. आवेदन पत्र जिला के www.lakhisarai.nic.in से अपलोड किया जा सकता है।

21/8/24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लखीसराय।

ज्ञापांक 588 /जि0प0, लखीसराय, दिनांक :– 21.08.2024

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन की सूचना की प्रति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन की सूचना को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दें।

21/8/24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लखीसराय।

कार्यालय जिला परिषद, लखीसराय।

संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईं फोटोग्राफ

1. पद का नाम
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. पिता / पति का नाम :–
4. कोटि :–
5. स्थायी पता :–
6. पत्राचार का पता :–
7. मोबाईल नं0:–
8. विभाग / कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुए है :–
9. पदनाम (सेवानिवृत) :–
10. सरकारी सेवा में योगदान की तिथि :–
11. सेवा निवृति की तिथि :–
12. सेवांत लाभ अवरूद्ध है अथवा नही, यदि हाँ तो

    (पेंशन / उपादान के स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न करे) :–
13. किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही अद्यतन लंबित / विचाराधीन है अथवा नही, यदि हाँ तो स्पष्ट उल्लेख करें :–
14. किसी प्रकार का अपराधिक मामला / निगरानी / किसी प्रकार का वाद है अथवा नही यदि हाँ तो उसका व्यौरा :–
15. नियुक्ति हेतु विहित सभी शर्ते मंजूर है ?
16. नियुक्त पदो के विरूद्ध पूर्व के कार्यो का अनुभव :–
17. विशेष अनुभव :–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर